कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248001

Mail ID :*ukmssbdun@gmail.com*; Website : *www.ukmssb.org*, Phone : *0135-2665366*(O)

पत्र संख्याः उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 16 / 2024–25 / 732 दिनांक 08 अक्टूबर, 2025

प्रत्यावेदन निस्तारण आदेश

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों के अन्तर्गत असिस्टेन्ट प्रोफेसर के रिक्त 439 पदों हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या– उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 16 / 2024–25 / 154 दिनांक 19 फरवरी, 2025 के क्रम में चयन बोर्ड कार्यालय के पत्र संख्या– उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 16 / 2024–25 / 717, दिनांक– 30 सितम्बर 2025 द्वारा जारी अंतिम रुप से अनर्ह (Rejected) अभ्यर्थियों में से निम्न चार अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन का बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित तालिका के अनुसार निस्तारित किया जाता है–

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम, आवेदित पद नाम एवं पंजीकरण संख्या	निस्तारण आदेश
1	डा0 जितेन्द्र चन्द्र देवराड़ी– असिस्टेन्ट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी –9001000021	आपके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार किया गया। बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया चूंकि आप दिनांक 11 अगस्त 2023 को असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए है जो कि चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 के उपरान्त नियुक्त हुए हैं। चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं नियम 3.3 के अनुसार आप पात्र नहीं है। अतः बोर्ड द्वारा आपके सम्बन्ध में पूर्व में लिये गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए आप द्वारा दिनांक 03 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।
2	डा0 प्रतीक पंडे, असिस्टेन्ट प्रोफेसर डैन्टिस्ट्री– 9001000657	आपके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार किया गया। बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया चूंकि आपके द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में सीनियर रेजिडैन्ट अनुभव का उल्लेख नहीं किया गया है साथ ही आपके द्वारा कोई ऐसा तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्व हो कि आप राष्ट्रीय आर्युविज्ञान आयोग द्वारा जारी चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार उक्त पद हेतु पात्र है। इस सम्बन्ध में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है कि आप उक्त पद हेतु पात्र हैं। अतः बोर्ड द्वारा आपके सम्बन्ध में पूर्व में लिये गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए आप द्वारा दिनांक 03 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।
3	डा0 रश्मि पाण्डे, असिस्टेन्ट प्रोफेसर बायोकैमिस्ट्री– 9001000342	आपके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार किया गया। आपके द्वारा आपकी पात्रता के सम्बन्ध में राष्ट्रीय आर्युविज्ञान आयोग द्वारा पत्र संख्या– NMC/MCI-12(1)/2021-22-TEQ/013570 दिनांक 23 मार्च 2022 तथा पत्र संख्या– NMC/MCI-12(1)/2022-TEQ/016857 दिनांक 27 अप्रैल 2022 तथा NMC-12(1)/2022/TEQ/029476 दिनांक 12 अगस्त 2022 तथा रिट याचिका संख्या 8392 वर्ष 2022 में दिनांक 03 मार्च 2023 को पारित आदेशों की प्रति प्रस्तुत की गई है। बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया चूंकि राष्ट्रीय आर्युविज्ञान आयोग द्वारा जारी आदेशों में आपको असिस्टेन्ट प्रोफेसर–बायोकैमिस्ट्री पद हेतु अर्ह घोषित किया गया है अतः आपको **औपबन्धिक (Provisional) रुप से** प्रश्नगत पद हेतु साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित किया जाता है। अतः आपका प्रत्यावेदन दिनांक– 30 सितम्बर 2025 निस्तारित किया जाता है। आपको औपबन्धिक प्रवेश पत्र मेल के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम, आवेदित पद नाम एवं पंजीकरण संख्या	निस्तारण आदेश
4	**डा0 मौहम्मद शाहिद, असिस्टेन्ट प्रोफेसर–पिडियाट्रिक्स 9001000702**	आपके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार किया गया। बोर्ड द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया चूंकि आप द्वारा सीनियर रेजिडेन्ट का अनुभव दिनांक 20 मई 2024 से 31 मई 2025 का प्रस्तुत किया गया है जो कि ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की तिथि के उपरान्त तक है एवं यह अनुभव आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 21 मार्च 2025 तक एक वर्ष का पूर्ण नहीं हो रहा है। अतः बोर्ड द्वारा आपके सम्बन्ध में पूर्व में लिये गए अनर्हता सम्बन्धी निर्णय को यथावत् रखते हुए आप द्वारा प्रस्तुत दिनांकरहित प्रत्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

ह0/–
(प्रदीप जोशी),
सचिव